अपील सूचना अधिकार संख्या 94/2021 (GCMS 2021/150) (RTI 212636851044788) गगन सेतिया निवासी 1–सी–सुखाड़िया नगर, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर–335001 (मोबाईल नं. 94140–88647) बनाम लो.सू.अ. एवं प्र.अधि., पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

22.11.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गगन सेतिया उपस्थित नही हैं। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2021 से प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अपीलार्थी की अपील महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के श्रवणाधिकार में न होने के कारण अपने पत्रांक 1050 दिनांक 11.08.2021 से इस कार्यलय को प्रेषित करने पर दिनांक 24.08.2021 को कार्यालय में प्राप्त होने पर दर्ज की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः

1. Money Lender License आपके अधीनस्थ किस अधिकारी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार द्वारा जारी किये जाते है।
2. License जारी करने हेतु किन–किन documents आवश्यकता होती है, सूची प्रदान करें।
3. License जारी करने हेतु क्या नियम/निर्देश है, सूचना प्रदान करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगगानगर ने अपने पत्रांक पंजीयन/2021/2070 दिनांक 20.10.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया हैः

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री गगन सेतिया ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन दिनांक 11.06.21 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/66/2021/ 574 दिनांक 16.06.21 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ जिसका प्रत्युत्तर इस कार्यालय के पत्रांक 825 दिनांक 07.07.21 से प्रार्थी को नियमानुसार दिया जा चुका है :

क्र. स.	चाही गई सूचनाएं	दिये जाने वाले उत्तर
1	Money Lender License आपके अधीनस्थ किस अधिकारी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार द्वारा जारी किये जाते है।	धारा 2(च) के तहत सूचना वही देय है जो अभिलेख के रूप में लोक प्राधिकरण में संधारित है। सूचना का सृजन करके नई सूचना बना कर दिया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच में हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्शी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदन को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे [illegible] तथ्यों को प्रदान करना लोक [illegible] अधिकारी का काम नहीं है।
2	License जारी करने हेतु किन–किन documents आवश्यकता होती है, सूची प्रदान करें।	
3	License जारी करने हेतु क्या नियम/निर्देश है, सूचना प्रदान करें।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:28 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
प्रभारी अकिरी पंजीयन
एवं अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 10 जुलाई 2008 अवलोकनीय है जिसमें निम्न प्रकार से अंकित किया गया है :

सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री से नोट लेने, सामग्री का उद्धरण अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो। अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से ये अपेक्षित नही है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उक्त प्रपत्र से यह अपेक्षित है कि लोक सूचना अधिकारी उसी रूप में सामग्री प्रदान करे जिस रूप में लोक प्रधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को पद्रान करना लोक सूचना का अधिकारी का काम नहीं है। इस दृष्टिकोण से अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 07.07.2021 से जो उत्तर दिया गया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओ को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके कार्यालय में राजस्थान मनी लैण्डर्स एक्ट 1963 के तहत उपलब्ध अभिलेख का प्रार्थी को निरीक्षण करवा देवें और उसमें से किसी निश्चित अभिलेख की कोई सूचना चाहे तो वह उसे इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी पंजीयन एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:29:28 IST
Reason: SelfAttested